राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

कमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/32457-32647 जयपुर, दिनांकः 14/8/17

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
राजस्थान।

विषयः मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत दिनांक 11.08.2017 तक प्राप्त आवेदनो का निस्तारण दिनांक 30.09.2017 तक निस्तारित करने के संबंध में।

विभागीय आदेश दिनांक 25.04.17 के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शहरी जनकल्याण शिविरो का आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 10.07.17 को उक्त जन कल्याण शिविर आयोजित किये जाने हेतु अवधि दिनांक 11.08.17 तक बढाई गई थी। जिसके अनुरूप उक्त जन कल्याण शिविरो के माध्यम से नगरीय निकाय क्षेत्रो में वार्ड वार/जोन वार कार्यक्रम निर्धारण उपरान्त शिविर आयोजित कर प्राप्त आवेदनो का निस्तारण शिविर के दौरान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आयोजित शिविरो में सभी नगरीय निकायो द्वारा सफलता पूर्वक अधिकांश प्रकरणो का निस्तारण किया गया है परन्तु शिविरो के दौरान अत्यधिक प्रकरण प्राप्त हुए है, जिनका निस्तारण उक्त अल्प अवधि में किया जाना विभिन्न कारणो से संभव नहीं हो सका है। अतः ऐसे मामले जिनमे आवेदन मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि में दिनांक 11.08.2017 तक प्राप्त हो गये है उनका निस्तारण वर्तमान प्रकिया एवं छूट के अनुरूप एम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 30.09.2017 तक किया जा सकेगा।

(डॉ. मनजीत सिंह) 14/8/17
प्रमुख शासन सचिव

कमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/32648-32925 दिनांकः 16/8/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक,मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग राज0जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका राज0।
5. अध्यक्ष, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण राजस्थान।
7. अध्यक्ष/आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त राजस्थान।
10. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज0जयपुर
11. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरनिगम/परिषद/पालिका राज0।
12. निजी सहायक, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
13. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, समस्त राजस्थान।
15. प्रोग्रामर निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग/नगरीय विकास विभाग को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी